

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

एस.बी.सिविल याचिका संख्या 1951/2021 सीमा नकवाल बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.02.2021 में अप्रार्थीगण को याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को कन्सीडर कर आख्यात्मक आदेश के जरिए निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

याचिकार्थिया द्वारा अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि याचिकार्थिया वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुँठवा, पंचायत समिति-खमनोर, जिला-राजसमन्द में शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III के पद पर कार्यरत है, जबकि उसका ससुराल उदयपुर जिले में है। अतः याचिकार्थिया ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर पति-पत्नी प्रकरण के आधार पर राजसमन्द जिले से उदयपुर जिले के मु.पो.-कोल्हारी, तहसील-झाड़ोल(फ.) के नजदीक रिक्त पद पर स्थानान्तरण करने की मांग की है।

याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.02.2021 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-1971 के अनुसार शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III का पद जिला स्तर का पद है, जिसका सक्षम नियुक्ति अधिकारी संबंधित जिले का जिला शिक्षा अधिकारी है। रोस्टर का संधारण संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III का पद जिला कैंडर का होने के कारण जिला परिवर्तन कर स्थानान्तरण करने से विभाग का जिला स्तरीय रोस्टर प्रभावित होता है। शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III के पद जिले में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर वर्गवार एवं जिलेवार ही विज्ञापित किये जाते हैं एवं चयनित अभ्यर्थियों को जिलेवार व वर्गवार ही नियुक्ति दी जाती है। अन्य जिले में स्थानान्तरण कर जिला परिवर्तन किये जाने से जिलों में उपलब्ध पदों के विरुद्ध पदस्थापन का अनुपात असंतुलित हो जाएगा जिससे अव्यवस्था होगी, जो कि छात्र हित एवं विभाग के अनुकूल नहीं है।

याचिकार्थिया द्वारा पति-पत्नी प्रकरण के आधार पर राजसमन्द जिले से उदयपुर जिले में स्थानान्तरण की मांग के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि शासन के पत्रांक प 17(4) शिक्षा-2/2009 पार्ट जयपुर, दिनांक 26.07.2019 के अनुसार तृतीय श्रेणी अध्यापक के स्थानान्तरण हेतु वर्तमान में शासन द्वारा पत्रांक प 5(5) प्राशि/2018 दिनांक 02.04.2018 द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देश प्रभावी है, जिनमें पति-पत्नी प्रकरण के आधार पर स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कोई दिशा-निर्देश अंकित नहीं है।


राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार (अनु-3) विभाग के परिपत्र क्रमांक: प.1(1)प्र.सु./अनु.-3/2020 पार्ट जयपुर, दिनांक 18.05.2020 के बिन्दु संख्या 03 में अंकित पति-पत्नी प्रकरण के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि उक्त परिपत्र राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या अन्य भर्ती एजेंसी से चयनित अभ्यर्थियों को मण्डल/जिला आवंटन पश्चात् काउंसलिंग में वरीयता प्रदान करने के सम्बन्ध में है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 श्वेता बनाम सरकार में यह निर्णय पारित किया है कि "the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post." इस प्रकार कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। कार्मिक की उपर्युक्त परिस्थितियों के आधार पर कार्मिक के पक्ष में स्थानान्तरण का अधिकार सृजित नहीं होता है। कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण हेतु वर्णित परिस्थितियों का विभागीय व्यवस्था एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में ही विचार किया जा सकता है। विभाग द्वारा प्रशासकीय व्यवस्था, राज्यहित, लोकहित व छात्र हितों को ध्यान में रख कर ही स्थानान्तरण किए जाते हैं। याचिकार्थिया द्वारा पति-पत्नी प्रकरण के आधार पर अन्तर जिला स्थानान्तरण हेतु की जा रही मांग तर्कसंगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं है।

अतः याचिकार्थिया द्वारा राजसमन्द जिले से उदयपुर जिले में स्थानान्तरण करने हेतु की जा रही मांग उपर्युक्त वस्तुस्थिति एवं विभागीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं पाई गई है। मांग उचित

— 4 —

नहीं पाए जाने के कारण इस मांग को अस्वीकृत की जाकर याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।


(सौरभ स्वामी)


आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-मा./संस्था/एफ-2/को.के./जोध/12823/2021

दिनांक:- 17.06.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजसमन्द
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक, राजसमन्द
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक, उदयपुर
5. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि, जोधपुर
6. सहायक निदेशक (विधि), कार्यालय हाजा को सूचनार्थ
7. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
8. याचिकार्थिया श्रीमती सीमा नकवाल पुत्री श्री ब्रह्मानन्द नकवाल, शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुँठवा, पंचायत समिति-खमनोर, जिला-राजसमन्द (रजिस्टर्ड)
9. रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)